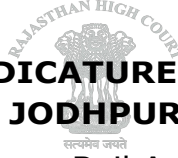




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3526/2026

Bobby Singh S/o Kripal, Aged About 21 Years, Resident Of Ward
No 42 Gg, P.s. Kesarisinghpur, Dist. Sriganganagar (At Present
Lodged In Sub Jail, Srikaranpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2236/2026

Dharampreet Singh Alias Dhammi S/o Kripal Singh, Aged About
25 Years, Resident Of 42 Gg Ps Kesarisinghpur District
Sriganganagar Rajasthan (At Present Lodged In Sub Jail
Srikaranpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Khushi Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत के दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 127(2), 331(6), 310(2), 324(4), 324(5), 190, 191(2), 191(3), 61(2)(ए), 204, 205, 336(2), 111(2)(बी), 111(3), 111(4), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25(1-बी)(ए) आयुद्ध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।



03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त धर्मप्रीतसिंह दिनांक 26.11.2025 से तथा प्रार्थी-अभियुक्त बॉबी सिंह दिनांक 07.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं है, केवल रेकी का आरोप है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त धर्मप्रीतसिंह दिनांक 26.11.2025 से तथा प्रार्थी-अभियुक्त बॉबी सिंह दिनांक 07.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1.बोबी सिंह पुत्र कृपाल सिंह, 02. धर्मप्रीत सिंह उर्फ धम्मी पुत्र कृपालसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J